राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 2025/170 — दायर दिनांक :–03.11.2025

सीसीएमएस नं. :– 2025/170 — निर्णय दिनांक :–19.11.2025

1. श्री अमरजी पिता नाथु निवासी डूंगर
2. श्री सुनील पिता कानजी पटेल
3. श्री मोतीलाल पिता रामा
4. श्री राजु पिता कचरा
5. श्री शंकर पिता हुरजी
6. श्री लक्ष्मण पिता रमेश
7. श्री रतनजी पिता रूपजी,
8. श्री देवजी पिता पन्ना
9. श्री मोहन पिता नेहालचंद
10. श्री शंकर पिता प्रभु
11. श्री शंकर पिता कचरू
12. श्री भरत पिता कान्ति,

निवासीयान :–डूंगर पुलिस थाना खमेरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा

अपीलान्ट

बनाम

थानाधिकारी, पुलिस थाना, निठाउवा एफ.आई.आर.नं. 103/2025 (सरकार बनाम नारायण वगैराह))

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–1. श्री चन्द्रसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अपीलान्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

–:: निर्णय ::–

यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री अमरजी पिता नाथु, सुनील पिता कानजी पटेल, मोतीलाल पिता रामा, राजु पिता कचरा, शंकर पिता हुरजी लक्ष्मण पिता रमेश, रतनजी पिता रूपजी, देवजी पिता पन्ना, मोहन पिता नेहालचंद, शंकर पिता प्रभु, शंकर पिता कचरू एवं भरत पिता कान्ति सभी निवासीयान डूंगर पुलिस थाना खमेरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा ने बादल ट्रेडर्स, साबला से खाद क्रय कर गांव डूंगर ले जाने हेतु प्रार्थीगण के द्वारा दो वाहन पीकअप किराये लेकर प्रत्येक कृषक का 10 बैग युरिया खाद कुल 120 बैग लिये दो वाहन पीकअप द्वारा लेकर जा रहे थे कि पुलिस थाना निठाउवा के द्वारा वाहन पीकअप एवं प्रार्थीगण का 120 बैग युरिया खाद को जप्त किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा कोई अपराध कारीत नही किया गया है, पुलिस ने गलत तथ्यो का आधार लेकर उक्त प्रकरण में खाद को जप्त किया गया है। मामले में मिथ्या आरोप लगाकर उक्त अपराध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जबकि खाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के श्रेणी में नही आता है। उक्त खाद को पुलिस थाना निठाउवा में खुली जगह में पड़ा हुआ है, तथा उक्त खाद की प्रार्थीगण को आवश्यकता है। उक्त खाद को प्रयोगशाला के द्वारा मानक माना गया है। उक्त खाद की सुपुर्दगी हेतु माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी शर्ते आयत की जायेगी वह मानने हेतु प्रार्थीगण तत्पर है। अतएवं उक्त मामले में जब्त शुदा खाद के 120 बैग प्रार्थीगण को जमानत नामा एवं सुपुर्दगी नामा पर सुपुर्द किये जाने का आदेश हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया थानाधिकारी, पुलिस थाना निठाउवा से प्रकरण की अनुसंधान रिपोर्ट/केस डायरी तलब की गई। पुलिस थाना निठाउवा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 26.08.2025 को सोहन लाल मीणा उर्वरक निरिक्षक, उप परियोजना निदेशक आत्मा कार्यालय उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा डूंगरपुर ने उपस्थित थाना हो एक रिपोर्ट पेश की कि अवैध युरिया परिवहन करते 02 पीकअप को मय युरिया जब्त किया गया है। जिसकी सुचना सयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डूंगरपुर को दी गई जिसकी पालना में अवैध युरिया 120 बैग (45 किलो प्रती बैग) का नमूने आहरित कर जप्ती की कार्यवाही की गई। उर्वरक का अवैध परिवहन करना उर्वरक परिवहन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 03 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उर्वरक का अवैध परिवहन/कालाबाजारी करने वाले दोषीयो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 103/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान मन

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

थानाधिकारी भरत लाल उ.नि. ने बखुद जिम्मे लिया। पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिबशुदा फर्द घटनास्थल निरीक्षण एवं ईस्तगासा 05/2025 तथा 06/2025 धारा 106 बीएनएसएस में दोनो पिकअपों की फर्द जप्ती, न्यायिक मजिस्ट्रेट आसपुर को भेजी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट, कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर को कार्यवाही हेतु भेजी गयी। युरीया खाद की गुणवत्ता जाँचने हेतु सेम्पल लेने के लिए जप्तशुदा युरीया खाद को जरिये फर्द सुपुर्दगी के कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर के उर्वरक निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। उर्वरक निरीक्षक कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर द्वारा जप्तशुदा युरीया खाद की पर्चा मौका की कार्यवाही करते हुए युरीया खाद की गुणवत्ता जाँचने हेतु नियमानुसार नमुना सेम्पल आहरित किये गये। जिनकी जाँच रिपोर्ट की प्रति सह निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक, आत्मा डूंगरपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक 517-18 दिनांक 19.09.2025 की पालना में नमुना सेम्पल की जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो जप्तशुदा युरीया खाद के आहरित किये गये नमुनों को मानक स्तर का घोषित किया गया। पिकअप चालक नारायण को अनुसंधान हेतु थाने पर तलब किया गया था मगर नारायण मीणा उपस्थित नही हुआ । पिकअप चालक गोविन्द बैष्णव को दिनांक 05.09.2025 को वास्ते अनुसंधान हेतु धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस सर्व कराया जाकर दिनांक 11.09.2025 तक अनुसंधान हेतु थाने पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था मगर गोविंद बैष्णव नियत दिनांक तक थाने पर उपस्थित नही हुआ । दोनो पिकअप चालक वास्ते अनुसंधान हेतु उपस्थित नही हुए । जिस पर हर दोनो पिकअप चालको की तलाश की गयी तो हर दोनो पिकअप चालक अपनी सकुनत से रूहपोश मिले। दिनांक 23.09.2025 को हर दोनो पिकअप चालक अजखुद थाना पर उपस्थित आये। जिनसे पुछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। हर दोनो पिकअप चालको द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में बिना कोई वैध कागजातों के अपराध प्रमाणित पाया जाने से हर दोनो को प्रथक-प्रथक धारा 35 (1) (2) बीएनएसएस का नोटिस दिया जाकर चेक लिस्ट जारी कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के प्रथक प्रथक गिरफ्तार किये गये प्रकरण हाजा में जप्तशुदा पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 6753 का वाहन स्वामी तथा चालक, दोनो ही अभियुक्त गोविंद बैष्णव ही अभियुक्त गोविन्द ने अपने वाहन के कागजात पेश किये जो जरिये फर्द पेशकशी कागजात के तहवील पुलिस जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 3644 का वाहन स्वामी किशोर कलाल तलबिदा से पुछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। पिकअप नम्बर आरजे 03 जीए 3644 के वाहन स्वामी किशोर कलाल को धारा 133 एमव्ही एक्ट का नोटिस दिया जाकर जवाब लिया गया तो उक्त वाहन अपने स्वयं का हो वाहन पर चालक श्री नारायण पिता कमला मीणा निवासी बोरपी खेड़ा होना लिखित में जवाब पेश किया एवं वाहन के कागजात पेश किये जो जरिये फर्द पेशकशी कागजात के तहविल पुलिस लिये गये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 3644 के वाहन स्वामी श्री किशोर कुमार कलाल पिता अमरजी कलाल उम्र 54 साल निवासी डूंगर पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाडा द्वारा अपने वाहन पिकअप में चालक नारायण तथा एक अन्य पिकअप नंबर आरजे 03 जीए 6753 से साबला में बादल ट्रेडर्स गोदाम से बिना परमिट एवं लाईसेंस के अवैध रूप से भारी मात्रा में युरीया खाद भरकर मंगवाने से अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाने से अभियुक्त किशोर कुमार को जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार कर किया गया। दौराने अनुसंधान हर तिनो अभियुक्तगणो ने मन आईओ को स्वैच्छा से प्रथक प्रथक सुचना दी जो धारा 23 (2) भारतिय साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की जाकर मुताबिक फर्द सुचना अभियुक्तगणो के द्वारा युरीया खाद खरिदने वाले स्थान तथा युरीया खाद खरीदकर ले जाने एवं भण्डारण करने वाले स्थान की तस्दीक की गयी। बाद तस्दीक हर तिनों अभियुक्तगणो से कोई अनुसंधान करना शेष नही होने माननीय न्यायालय मे पेश किये गये जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गये। प्रकरण हाजा में जप्तशुदा दोनो पिकअपों को न्यायालय हाजा आदेश क्रमांक रीडर/डी.एम./2025/162-163 दिनांक :-01.10.2025 की पालना में दोनो जप्तशुदा पिकअपों को उनके वाहन स्वामीयों को जरिये फर्द सुपुर्दगी के सुपुर्द किये गये । प्रकरण हाजा में खाद बेचने वाले बादल ट्रेडर्स के मालिक मोतीलाल जैन से पुछताछ की जाकर धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस सर्व कराया जाकर जवाब लिया गया। बाद पुछताछ एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से श्री मोतीलाल पिता मणीलाल जैन निवासी साबला पुलिस थाना साबला द्वारा दिनांक 23.08.2025 को अपने गोदाम से दो पिकअपों में भारी मात्रा में युरीया खाद बिना कोई वैध कागजातों के भरवाकर युरीया खाद की कालाबाजारी करने से धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाने से अभियुक्त मोतीलाल जैन को धारा 35 (1) (2) बीएनएसएस का नोटिस दिया जाकर चेक लिस्ट जारी कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त मोतीलाल जैन ने मन आईओ को सुचना दी जो धारा 23 (2) भारतिय साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की जाकर मुताबिक फर्द सुचना अभियुक्त मोतीलाल द्वारा दोनो पिकअपों में 120 कट्टे भरवाने वाले अपने गोदाम की तस्दीक करवाई गयी। बाद अनुसंधान के अभियुक्त मोतीलाल को न्यायालय मे पेश किया गया जहाँ से जमानत पर आजाद है। पत्रावली में कानुनी राय प्राप्त कर ऐतराज पुर्ती की गयी

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

कृषि विस्तार के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण श्री परेश, श्री प्रमोद, श्री छगनलाल, श्री धरमविरसिंह, श्री विकास, श्री पुज्यपाल, श्री जिवराम के कथन लेखबद्ध किये गये मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न की गयी । संपुर्ण अनुसन्धान से अभियुक्त 01. श्री गोविन्द्र वैष्णव पिता श्री मोहनदास वैष्णव निवासी वार्ड नम्बर 02 सैनावासा पुलिस थाना घाटोल जिला बासवाडा राज. 02 श्री नारायण पिता कमला जी मीणा पेशा चालक निवासी पाणा डोकरा वाला पाडा बोरपी करेंग नरवाली चौकी पुलिस थाना खमेरा जिला बासवाडा राज 03 किशोर कुमार कलाल पिता अमरजी कलाल निवासी डूंगर पुलिस थाना खमेरा जिला बासवाडा राज । 4 मोतीलाल पिता मणीलाल जैन निवासी साबला पुलिस थाना साबला जिला डूंगरपुर राजस्थान के खिलाफ अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रमाणित है । प्रकरण हाजा में जप्तशुदा युरीया खाद की गुणवत्ता जाँचने हेतु सेम्पल लेने के लिए जप्तशुदा युरीया खाद को जरिये फर्द सुपुर्दगी के कृषि विस्तार जिला डूंगरपुर के उर्वरक निरीक्षक को सुपुर्द किया गया है।

बहस समायत की गई। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए उक्त खाद खुली जगह में पड़ा होने से खराब होने तथा खाद की प्रार्थीगण को आवश्यकता होने से उक्त जब्त शुदा खाद के 120 बैग प्रार्थीगण को जमानत नामा एवं सुपुर्दगी नामा पर सुपुर्द करने का कथन किया। पुलिस थाना की रिपोर्ट अनुसार जप्तशुदा युरीया खाद कृषि विस्तार विभाग को गुणवत्ता की जांच हेतु भेजा गया है।

मेरे द्वारा अपीलान्ट की बहस एवं थानाधिकारी की रिपोर्ट तथा दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जप्तशुदा युरीया खाद कृषि विस्तार विभाग के उर्वरक निरीक्षक को गुणवत्ता जांच हेतु सौंपा जा चुका है। चूकि जांच प्रक्रिया वर्तमान में लंबित है और जप्तशुदा माल मामले की प्रमुख साक्ष्य सामग्री है। अतः इस अवस्था में जप्तशुदा यूरिया खाद को छुडाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नही है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर